उ0प्र0वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पार्वती बागला रोड़, सूटरगंज, कानपुर।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **संस्थान स्थित परिसर में 03 पेड़ों (01 गूलर,01 अर्रू एवं 01 सेमल)** की नीलामी जहां है जैसा है कि आधार पर दिनांक 7.08.2023 को प्रातः 11:00 बजे संस्थान परिसर स्थित प्लेसमेन्ट हॉल में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी से पूर्व धरोहर राशि 3000.00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पक्ष में हो, को जमा करना होगा। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाना भी अनिवार्य होगा। नीलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के नोटिस बोर्ड अथवा संस्थान की वेवसाईड www.uptti.ac.in पर देखी जा सकती है।

निदेशक
यू0पी0टी0टी0आई0,कानपुर।
निदेशक
उ0प्र0वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान
कानपुर

उ0प्र0वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पार्वती बागला रोड़, सूटरगंज, कानपुर।

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी पेड़ जहां है जैसा है के आधार पर की जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक कयदाताओं को रू0 3000.00 की जमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पक्ष में हो, को जमा करना अनिवार्य होगा।
3. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. न्यूनतम सरकारी बोली रू0 7572.00 (रूपये सात हजार पॉच सौ बाहत्तर) निर्धारित है।
5. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को होगा।
6. विज्ञापित किये गये पेड़ों की नीलामी करने वाला अधिकारी बिना किसी कारण बताये नीलामी रोकने के लिये अधिकृत होगा।
7. बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि धरोहर राशि के रूप में तत्काल नकद जमा कराना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि 2 दिनों के अन्दर जमा करना होगा।
8. बोली लगाने वाला व्यक्ति बोली के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो को पूरा नहीं करता है तो वह भारतीय दण्ड सहित की धारा–185 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगी।
9. यदि उच्चतम बोलीदाता निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसकी नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रित धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही पेड़ों को द्वितीय बोलीदाता को प्रस्तावित किया जायेगा किन्तु शर्त यह होगी कि 25 प्रतिशत धनराशि को जब्त करते हुए उसकी बोली उच्चतम बोली लगाने वाले के द्वारा प्रस्तावित बोली से कम नहीं हो। कम होने पर पेड़ों की नीलामी पुनः की जायेगी।
10. पूर्ण धनराशि जमा होने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा नीलाम किये गये पेड़ों की काटने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
11. केता द्वारा पूर्ण जानकारी करने के उपरान्त ही पेड़ों की कटाई करेगा। यदि जानबूझकर या अनजाने में केता द्वारा कोई अन्य पेड़ काटा जाता है। तो उसके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
12. पेड़ों की नीलामी जहां है जैसा है कि आधार पर की जायेगी। विकय किये गये पेड़ो को नीलामी स्वीकृति के उपरान्त यदि किसी कारणवश आंधी, तूफान , आग लगना आदि प्राकृतिक व अप्राकृतिक से कोई हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं केता की होगी।
13. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर का निर्णय अन्तिम होगा जो उभय पक्षों को मान्य होगा।
14. किसी भी वाद की स्थिति उत्पन्न होने पर वादसंस्थित करने के लिए क्षेत्राधिकार वह स्थान होगा जहॉ नीलामी की गई हो।
15. नीलामी के 10 दिनों के अन्दर पेड़ो की कटाई एवं कटी हुई लकडियों को बाहर ले जाना होगा।

निदेशक
यू0पी0टी0टी0आई0, कानपुर।

निदेशक
उ0प्र0वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्था..
कानपुर

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर नगर।

विषयः– संस्थान परिसर में स्थित 03 (01 अर्रू, 01 सेमल एवं 01 गूलर) पेड़ों की कटाई हेतु नीलामी के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं नीलामी सूचना संख्या .... दिनांक.......................... के सम्बन्ध में।

केता का नामः ....
पिता का नामः ....
आयुः ....
पूरा पताः ....

क्या आपने रू0 3000/– का बैंक ड्राफ्ट बयाने की राशि के रूप में .... हॉ/नहीं इस निविदा के साथ संलग्न किया है।

यदि हॉ तो ड्राफ्ट सं0/रसीद सं0 .... दिनांक .... एवं बैंक का नाम ....

मुझे संस्थान द्वारा रखी गई सभी शर्ते जिसमें निविदाओं का अस्वीकृत होना भी सम्मिलित है मान्य है।

दिनांक ....

केता के हस्ताक्षर............................
केता का नाम....................................
टेलीफोन/मो0 नं0................................

मेरे द्वारा उपरोक्त नीलामी में अधिकतम बोली रू0 .... की लगायी गयी है।

....
केता के हस्ता0
दिनांक ....
स्थान ....
समय ....